उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 634/2018

सिपाही यादव (गोप)........................वादी।

बनाम्

कपिल देवी यादव वगै0................................प्रतिवादीगण।

आदेश

01.06.2026 उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 19.02.2026 व 06.05.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 15 केशो यादव (गोप) की मृत्यु दिनांक 09.01.2026 को तथा प्रतिवादी सं0 01 कपिल देवी यादव (गोप) की मृत्यु दिनांक 05.03.2026 को हो चुकी है। मृत प्रतिवादी सं0 15 के वारीसान रमेश यादव, कांता देवी, देवांता देवी, लाखा मुनि देवी, मंजू देवी तथा मृत प्रतिवादी सं0 01 के वारीसान शनिचरी देवी, गौरी शंकर यादव, मीरा देवी, आशा देवी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय। अनुरोध करते है कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए मृत प्रतिवादी सं0 01 व 15 का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन का आजतक प्रति–उत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी को प्रति–उत्तर दाखिल करने से वंचित किया जाता है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। प्रतिवादी को प्रति–उत्तर दाखिल करने से वंचित किया गया है। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 19.02.2026 व 06.05.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी के अधिवक्ता, कार्यालय लिपिक के समक्ष मृत प्रतिवादी सं0 15 केशो यादव (गोप) तथा प्रतिवादी सं0 01 कपिल देवी यादव (गोप) का नाम कलमजद करने तथा इनके वारीसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक– 29.06.2026 वास्त आपेक्षिकांए दाखिल करने हेतू ।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)